

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल रावौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या -120/2021

(Bank Case)

GCMS NO - 2021/258

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रजिस्टर्ड कार्या पंजीकृत कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक प्रधान कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा-39007, गुजरात एवं कॉर्पोरेट कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई- 40051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा -324007 में स्थित व कार्यरत है जारिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश शर्मा।

- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

- 1- श्री रिभु सिंह वर्मा (ऋणी)  
पता- कजारिया सिरेमिक्स लि० नं. 15/2, मीरा पथ कलर, न्यू रेलवे स्टेशन के सामने, इन्दौर मध्य प्रदेश-452001  
दूसरा पता- प्लॉट नं. 20-बी, बालाजी टाउन, खेडली फाटक पुरोहित, कोटा राजस्थान- 324001  
तीसरा पता-प्लेट नं.403, एच.आई.जी.ए. न्यू सेन्टर, ग्वालियर मध्य प्रदेश-474001  
चौथा पता- बी-20, बालाजी टाउन खेडली फाटक कोटा राजस्थान-324001
- 2- श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा पुत्र श्री जगदीश कुमार वर्मा (सहऋणी व बंधककर्ता)  
पता- बी-20, बालाजी टाउन, खेडली फाटक कोटा राजस्थान-324001  
दूसरा पता- प्लॉट नं. 20-बी, बालाजी टाउन, खेडली पुरोहित, कोटा राजस्थान - 324001

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 17-11-2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी "आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, रजिस्टर्ड कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. बैंक टावर, चाकली सर्किल के पास, पुराना पाडरा रोड, वडोदरा-39007, गुजरात एवं कॉर्पोरेट कार्यालय- आई.सी.आई.सी.आई. टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई- 40051 में स्थित व कार्यरत है जिसकी क्षेत्रीय कार्यालय-प्रथम तल एरोड्राम सर्किल, कोटा -324007 में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 14.06.2021 को 10,45,850/- (अक्षरे दस लाख पैतालीस हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप में श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा पुत्र श्री जगदीश कुमार वर्मा की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 20-बी, बालाजी टाउन, खेडली पुरोहित, कोटा राजस्थान- 324001 में स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 220 वर्ग गज है, जिसकी चर्तुर्थ सीमाएँ- उत्तर- रोड, दक्षिण- रोड, पूर्व- प्लॉट नं. 21.बी, पश्चिम -

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

प्लॉट नं. 11-बी एवं 12-बी है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.05.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 10,28,858/- (अक्षरे दस लाख अठाइस हजार आठ सौ अठावन रुपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.11.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 30.11.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता श्री देवेन्द्र सिंह वर्मा पुत्र श्री जगदीश कुमार वर्मा की अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 20-बी, बालाजी टाउन, खेडली पुरोहित, कोटा राजस्थान- 324001 में स्थित हैं, जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 220 वर्ग गज है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ- उत्तर- रोड, दक्षिण- रोड, पूर्व- प्लॉट नं. 21.बी, पश्चिम - प्लॉट नं. 11-बी एवं 12-बी है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को सुनाया गया।

3 17/11/21  
(उज्ज्वल राहौड़)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

